



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06032026-270705
CG-DL-E-06032026-270705

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1124]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 6, 2026/फाल्गुन 15, 1947

No. 1124]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 6, 2026/PHALGUNA 15, 1947

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2026

का.आ. 1176(अ).— केंद्रीय सरकार, कीटनाशक अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की तत्कालीन खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग), भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 4 फरवरी, 1997 में प्रकाशित अधिसूचना का.आ. 79(अ) तारीख 3 फरवरी, 1997 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 5 और क्रम संख्या 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“5. डॉ. सुभाष चंद, संयुक्त निदेशक (रसायन विज्ञान), पौध संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय, एनएच-IV, फरीदाबाद, हरियाणा सदस्य.

6. डॉ. उमेश डी. सुरंगी, आचार्य, भेषजगुण विज्ञान विभाग, सदस्य”।
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

2. सदस्य तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक वह केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड के सदस्य हैं।

[फा. सं. 13029/02/2019-पीपी-1 भाग(1)]

मुक्तानंद अग्रवाल, संयुक्त सचिव (पौध संरक्षण)

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 79 (अ), तारीख 3 फरवरी, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी और संख्यांक का.आ. 91 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2026 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2026

S.O. 1176(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Agriculture, (Department of Agriculture and Cooperation), dated the 3rd February, 1997, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 79(E), dated the 4th February, 1997, namely:-

In the said notification, for serial numbers 5 and 6 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“5. Dr. Subhash Chand, Joint Director (Chemistry), Member.
Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage,
NH-IV, Faridabad, Haryana

6. Dr. Umesh D. Surangi, Professor, Department of Member”.
Pharmacology, Directorate General of Health Services

2. The member shall hold office for so long as he is a member of the Central Insecticide Board.

[F. No. 13029/02/2019-PP-I Part(1)]

MUKTANAND AGRAWAL, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 79(E), dated the 3rd February, 1997 and last amended, *vide* number S.O. 91 (E), dated the 06th January, 2026.